

Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् सन्तोष देवी बनाम प्रहलाद आदि किस्म मुकदम् 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद संख्या 54/2022

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
10.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53,88,92-ए,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 09 नियम 05 के तहत सम्मन/नोटिस देने में वादी/प्रार्थी के असफल रहने के परिणामस्वरूप दिनांक 10.12.2024 को न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मूल दावा खारिज होने पर प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>अतः उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आदिनांक 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">शकुंतला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर।</p>	

